रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 अक्तूबर, 2000/11 आश्विन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 सितम्बर, 2000

संख्या 1-8/68-होम.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन नियम, 1968 है ।

(2) इनका विस्तार प्रथम नवम्बर, 1968 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों तक होगा ।

2. (1) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964 (1964 का 2) अभिप्रेत है ।

1. ये नियम 1969 के अधिनियम संख्यांक 25 द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में भी विस्तारित किए गए हैं ।

3. (1) किसी सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित किए जाने वाले खेल, मूक अभिनय या नाटक का प्रदर्शन, धारा 3 (1) के अधीन प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश पारित करने से पूर्व, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उन आधारों को कथित करते हुए, जिन पर वह प्रदर्शन को आक्षेपणीय समझती है, प्रदर्शन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी आयोजक या अन्य प्रधान व्यक्तियों अथवा उस सार्वजनिक स्थान के स्वामी या अधिभोगी को, जिसमें ऐसा प्रदर्शन किया जाना आशयित है, उप-नियम (2) में यथा-उपबन्धित आदेश की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि उस प्रदर्शन को प्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति, दण्ड प्रक्रिया संहिता में समन की तामील के लिए उपबन्धित रीति में तामील की जाएगी ।

(3) यदि, उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट के भीतर, यथा अपेक्षित कारण दर्शित नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार धारा 3 (1) के अधीन एकपक्षीय अन्तिम आदेश पारित करेगी ।

4. (1) यदि व्यक्ति, जिन पर नियम 3 (1) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति की तामील की गई है, प्रश्नगत खेल, मूक अभिनय या अन्य नाटक को परिवर्तित करने के इच्छुक हैं, और इस प्रभाव का परिवचन देते हैं कि इस प्रकार परिवर्तित उपर्युक्त खेल, मूक अभिनय या अन्य नाटक ही प्रदर्शित किया जाएगा, यदि यह आक्षेपणीय नहीं है, तो ऐसा प्रदर्शन अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व धारा 8 (1) के अधीन इस प्रकार परिवर्तित उपर्युक्त खेल, मूक अभिनय या नाटक के बारे पूर्ण सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) यदि इस प्रकार परिवर्तित उपर्युक्त खेल, मूक अभिनय या नाटक आक्षेपणीय है तो धारा 3 (1) के अधीन ऐसे खेल, मूक अभिनय या नाट्य का प्रदर्शन प्रतिषिद्ध करने का आदेश पारित किया जा सकेगा ।

5. धारा 3 (1) या धारा 4 (1) अथवा (2) के अधीन किए गए प्रतिषेध के आदेश की एक प्रति की तामील दण्ड प्रक्रिया संहिता में समनों की तामील के लिए उपबन्धित रीति में भी धारा 5 में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर की जा सकेगी ।

6. इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में आक्षेपणीय प्रदर्शनों जो धारा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध किए गए हैं के पूर्ण ब्यौरे दर्शित करते हुए एक स्थायी विशेष रजिस्टर जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय में रखा जाएगा ।

7. जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए प्रतिषेध के आदेश की प्रति अन्य जिला मैजिस्ट्रेटों को सूचनार्थ भेजी जाएगी ।

8. राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो और पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इसे देख कर प्रदर्शन की प्रकृति निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान, जहां कोई खेल, मूक अभिनय या अन्य नाटक प्रदर्शित किया जा रहा है, में प्रवेश कर सकेगा ।

9. धारा 3 या धारा 8 के अधीन किए गए किसी आदेश की एक प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता में समन की तामील के लिए उपबन्धित रीति में क्रमिक धाराओं में वर्णित व्यक्तियों पर तामील की जाएगी।

उपाबन्ध

(नियम 6 देखें)

प्रतिषिद्ध प्रदर्शनों को दर्शित करने वाला रजिस्टर

(1) क्रम संख्या
(2) पुलिस से प्रथम इत्तला रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
(3) प्रदर्शन का नाम
(4) लेखक का नाम
(5) अधिनियम की धारा 4 के अधीन आदेश जारी करने के लिए आधार
(6) आदेश जारी करने की तारीख
(7) संचालकों या मुख्य व्यक्तियों आदि, के नाम, जिन पर आदेश की तामील की जानी है
(8) आदेश की वास्तविक तामील की तारीख
(9) तामील का ढंग
(10) स्थान जहां प्रदर्शन प्रतिषिद्ध किया जाता है
(11) अवधि जिसके लिए प्रदर्शन प्रतिषिद्ध किया जाता है
(12) टिप्पणी

आदेश द्वारा,

अजय प्रसाद,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित